"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2006—आषाढ़ 2, शक 1928

## भाग 3 (1)

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं संजय कुमार राठी पिता श्री श्याम सुन्दर राठी, आयु 27 वर्ष, निवासी एम. आई. जी. 101 पद्मनाभपुर, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का निवासी हूं.

मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के अंकसूची में मेरा उपनाम राठी नहीं लिखा गया है जिसे अपने नाम के साथ जोड़ने हेतु सक्षम प्राधिकारी का शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे संजय कुमार राठी पिता श्री श्याम सुन्दर राठी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

**पुराना नाम**

संजय कुमार
आ. श्री श्याम सुन्दर राठी
निवासी - एम. आई. जी. - 101, पद्मनाभपुर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

**नया नाम**

संजय कुमार राठी
आ. श्री श्याम सुन्दर राठी
निवासी - एम. आई. जी. - 101, पद्मनाभपुर, दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

# विविध

## निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

### निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 06/त.शा./का. अं./लो. स्वा./06-07.—मुहरबंद एकमुश्त समूहवार निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित नल जल योजनाओं के तहत पाईप लाइन बिछाने के कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदाएं उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों ,5 समक्ष खोले जावेंगे.

**निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)**

1. कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय : 12-6-2006 (कार्यालयीन अवधि)
2. कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय : 14-6-2006 (कार्यालयीन अवधि)
3. निविदा प्रस्तुत करने की तिथि (केवल रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट) : 19-6-2006 (अपरान्ह 5.00 बजे तक)
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 20-6-2006 (सुबह 11:00 बजे से)

**कार्य का विवरण**

बिलासपुर जिले के बिल्हा/तखतपुर विकासखंडों में स्थित निम्नलिखित नल जल योजनाओं के तहत विभिन्न आकार के सी. आई. टाइटन पाइप क्लास एल ए/यू. पी. व्ही. सी. पाईप Class 6 kg बिछाने एवं जोड़ने का कार्य. कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सहित स्थल पर प्रदाय एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य वाल्व चेम्बर, स्टैण्ड पोस्ट इत्यादि का निर्माण इंटर कनेक्शन टेस्टिंग का एकमुश्त कार्य (सभी सामग्री सहित) (संलग्न G Schedule के अनुसार) एवं टंकी निर्माण स्थल में बाउण्ड्री वाल का निर्माण/प्रस्तावित पंपों गृहों का निर्माण (संलग्न G Schedule के अनुसार).

| क्र. | योजना का नाम | अनुमानित लागत (रु. लाखों में) | धरोहर की राशि (रुपये) | निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये) | कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर) | ठेकेदारों की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | ग्राम मंगला विकासखंड बिल्हा. | 15.00 | 11250/- | 750/- | 4 माह | A-2/S-2 श्रेणी एवं ऊपर |
| 2. | ग्राम बहतराई विकासखंड बिल्हा. | 15.73 | 11800/- | 750/- | 4 माह | A-2/S-2 श्रेणी एवं ऊपर |
| 3. | ग्राम लिंगियाडीह विकासखंड बिल्हा. | 11.03 | 8275/- | 750/- | 3 माह | A-2/S-2 श्रेणी एवं ऊपर |
| 4. | ग्राम भरनी विकासखंड तखतपुर. | 10.50 | 7900/- | 750/- | 3 माह | A-2/S-2 श्रेणी एवं ऊपर |

## कार्य का विवरण

बिलासपुर जिले के बिल्हा/तखतपुर विकासखंडों में स्थित निम्नलिखित नल जल / स्पाट सोर्स योजनाओं के तहत विभिन्न आकार के सी. आई. टाइटन पाइप क्लास एल ए/यू. पी. व्ही. सी. पाईप Class 6 kg बिछाने एवं जोड़ने का कार्य. कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सहित स्थल पर प्रदाय एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य वाल्व चेम्बर, स्टैण्ड पोस्ट इत्यादि का निर्माण इंटर कनेक्शन टेस्टिंग का एकमुश्त कार्य (सभी सामग्री सहित) (संलग्न G Schedule) के अनुसार प्रस्तावित पंपों गृहों का निर्माण (संलग्न G Schedule के अनुसार).

| क्र. (1) | योजना का नाम (2) | अनुमानित लागत (रु. लाखों में) (3) | धरोहर की राशि (रुपये) (4) | निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये) (5) | कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर) (6) | ठेकेदारों की श्रेणी (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ग्राम नेवरा विकासखंड तखतपुर (आवर्धन योजना) | 6.50 | 5000/- | 750/- | 3 माह | A-1/S-1 श्रेणी एवं ऊपर |
| 2. | ग्राम परसाई विकासखंड बिल्हा (स्पाटसोर्स योजना) | 6.00 | 5000/- | 750/- | 3 माह | A-1/S-1 श्रेणी एवं ऊपर |

## निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 50/- (पचास रु. मात्र) डाक शुल्क देना होगा. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र खो जाने अथवा समय पर प्राप्त न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. यह निविदा विज्ञप्ति निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्तें भी लागू होंगे.

4. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

5. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

**सिविल कार्य**

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), रायपुर की नई दर सूची दिनांक 1-1-2000 से इस विभाग में लागू की गई है.

(ब) **पाइप लाइन बिछाने का कार्य :-** प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग, भोपाल (म. प्र.) की नयी Unified Schedule of Rates for the work of water supply & Severage pipe lines inforce from 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो.स्वा.यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है.

उपरोक्त दोनों सूची निविदा जारी होने की दिनांक से समस्त संशोधन सहित लागू होगी.

1. कार्य में लगने वाले सी. आई. टाईटन पाइप क्लास एल. ए./पी. व्ही. सी. पाइप (Class 6 kg) के लिये लगने वाले वाल्व, स्पेशल्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S.G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

2. कार्य में लगने वाला स्टील, ठेकेदार को लगाना होगा एवं स्टील का Testing प्रमाण-पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा.

3. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है.

4. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

5. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

(Attested copy)

(1) छ. ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र.

(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.

(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण-पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ. ग. शासन के बिक्री पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र तथा कार्य का नाम मंडल/विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्यों की सूची संलग्न करना होगा. सफलतापूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/संयंत्रों की पूरी सूची.

6. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-2004 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third Party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment Schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा..

7. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

8. निविदा सूचना छ. ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E-Mail के माध्यम से Pramarao @ c.g. nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

बिलासपुर, दिनांक 19 मई 2006

## निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 7/त.शा./का. यं./लो. स्वा./2006-2007.—मुहरबंद एकल समूहवार एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "एफ" में नीचे उल्लेखित नल जल प्रदाय योजना के कार्य हेतु टर्न की जाब के आधार पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 26-06-2006 को अपरान्ह 3.00 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, (छ.ग.) के निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा के तकनीकी प्रस्ताव निम्न तिथि अर्थात् दिनांक 26-06-2006 अपरान्ह 3.30 बजे निविदाकर्ताओं या इनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि तथा स्थान की सूचना तकनीकी प्रस्ताव खोलने के बाद दी जावेगी.

कार्य का नाम

निम्नलिखित ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आर. सी. सी. उच्च स्तरीय जलागार का डिजाईन, निर्माण, परीक्षण व स्थापित करना (सभी पाईप स्पेशल तथा फिटिंग आदि के प्रदाय तथा स्थापना सहित)

| ग्रु. क्र. | कार्य स्थल का विवरण | ठेके की संभावित राशि रु. लाखों में | धरोहर की राशि रु. | निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. | कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर) | ठेकेदारों की श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | ग्राम भरनी विकास खंड तखतपुर की नल जल योजना के अन्तर्गत टंकी निर्माण का कार्य, टंकी की क्षमता 100 किलो लीटर, टंकी की ऊंचाई 12 मीटर. | 8.00 | 6000/- | 750/- | 4 माह | A-I/S-I एवं उससे ऊपर |

## शर्तें

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23-06-2006 तक (कार्यालयीन अवधि) में प्राप्त किये जावेंगे. कोरे निविदा प्रपत्र एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में दिनांक 24-06-2006 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगवाने पर रुपये 50/- अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु डाक से विलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा. निविदा की अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत किया जावें, एवं उसके साथ निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

1. नवीन आयकर प्रमाण-पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्यिककर पंजीयन प्रमाण-पत्र.
2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.
3. निविदा कार्य का समरूप पूर्ण किये गये कार्य एवं अन्य प्रगतिशील कार्यों की सूची जिसमें कार्य का स्थान, अनुबंध की राशि, कार्यादेश का संदर्भ, कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना होगा.
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 125 के. एल. अथवा उससे अधिक क्षमता का उच्च स्तरीय आर. सी. सी. जलागार के निर्माण कार्य के संतोषप्रद संपादन का प्रमाण-पत्र जो कार्यपालन अभियंता, के स्तर से नीचे का अधिकारी न हो.
5. सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करने हेतु उपलब्ध उपकरण एवं संयंत्रों की सूची.

## अन्य शर्तें

1. एकमुश्त निविदा दर समस्त कर एवं अधिभार जो कार्य संपादन के समय प्रभावी हो सहित होना चाहिये.
2. कार्य हेतु ठेकेदार को आई. एस. आई. मार्क की आवश्यक ओ. पी. सी. सीमेंट आई ए. 269-1975 की स्वयं लगाना होगा. साथ ही टेस्ट प्रमाण-पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा.
3. विलंब से प्राप्त निविदा अथवा निर्धारित स्वरूप में धरोहर राशि प्राप्त न होने पर प्रस्तुत निविंदा बिना खोले ही निविदादाता को वापस कर दी जावेगी.
4. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी को होगा.
5. निविदाकार को वर्तमान में प्रगतिरत टंकी के कार्य का विवरण जैसे स्थान, विभाग, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का उल्लेख कर विवरण देना होगा.
6. जिस निविदाकार ने निविदा दिया है, तथा उनकी दर न्यूनतम एवं विचाराधीन है, इसके अन्तर्गत स्थान, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का पूर्ण उल्लेख होना चाहिये.
7. यदि किसी तथ्य को छुपाया जावेगा तो निविदाकार से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.
8. निविदाकार को न्यूनतम 125 किलो लिटर या उससे अधिकतम क्षमता की उच्च-स्तरीय आर. सी. सी. टंकी सफलतापूर्वक निर्माण का अनुभव (प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं प्रमाणीकरण कार्यपालन अभियंता, के स्तर अथवा उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी का होना चाहिये.
9. टंकी का एलीवेशन विभाग से स्वीकृत करना होगा.
10. समस्त विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.
11. निविदा सूचना छ. ग. के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tender में उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार उक्त विज्ञप्ति e-mail के माध्यम से Pramarao@e.g.nic. से प्राप्त कर सकते हैं.

12. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

---

## TENDER NOTICE

Raipur, 13th June 2006

No. GB-IV Paper-(1) 2006-2007/553.— Sealed Tenders are invited for supply of approximately 250 M. T. (± 25%) White Offset paper and 45 M. T. other various kinds of papers i. e. Colour Offset, Maplitho and Photo Copier Paper etc. for the Printing works of the department to the Govt. Press at Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing paper 2006-2007 are invited from the Paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills having Excise Clearance for 16000 Tonnes (only for White Offset Paper) based on 50 TPD about 320 Industrial Days. Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. or 17-07-06 along with test report from Govt. laboratory.

2. The tender will be considered on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form downloaded from our website www.tendersindia. net

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the Office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from office of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur-492001 Near Commercial Tax Office. Civil Line in person on any working days during working hours upto 14-07-06 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs. 1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 07-07-06. The tender form will be despatched by Registered Post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In Case if tenderer obtained the tender form from our website h. shall have to submitted Rs. 1000 (Cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

**Note :—** Tender form can be downloaded from www.tendersindia. net

**P. C. Seth,**
Joint Director
For Director
Govt. Printing and Stationery Department
Behind Old Commissioner Office
C. G. Raipur.
Phone No. 2331302

# न्यायालयों की सूचनाएं

## कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार

[ नियम 5 (1) देखिये ]

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये ]

दुर्ग, दिनांक 31 मई 2006

**पंजीयक, लोक न्यास दुर्ग के समक्ष**

क्रमांक/781/प्र 1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि श्री ठाकुरसीदास अग्रवाल आ. स्व. रामस्वरूप दास अग्रवाल निवासी श्री हरिओम कृपा निवास, पंडित जवाहरलाल नेहरू हायर सेकेण्डरी स्कूल, न्यू खुर्सीपार भिलाई द्वारा "स्वर्गीय गिंददोडीदेवी चेरिटेबल ट्रस्ट" को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30-6-2006 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 30-6-2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं संपत्ति का वर्णन)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | लोक न्यास का नाम | : | स्वर्गीय गिंददोडीदेवी चेरिटेबल ट्रस्ट |
| (2) | चल संपत्ति | : | 1,25,000/- रुपये नगद |

प्रारूप-चार

[ नियम 5 (1) देखिये ]

[ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये ]

दुर्ग, दिनांक 6 जून 2006

**पंजीयक, लोक न्यास दुर्ग के समक्ष**

क्रमांक/364/प्र-1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि श्री के. के. बंसल आ. स्व. श्री टेकचंद बंसल, निवासी एम. आई. जी.-9 वैशाली नगर भिलाई एवं अन्य द्वारा "मां दुर्गा चेरीटेबल एवं एजुकेशन ट्रस्ट" को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तहत विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 07-07-2006 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना.लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 07-07-2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति का पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं संपत्ति का वर्णन)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | लोक न्यास का नाम | : | मां दुर्गा चेरीटेबल एवं एजुकेशन ट्रस्ट |
| (2) | अचल संपत्ति | : | ग्राम खेदामारा, प. ह. नं. -5 में स्थित भूमि खसरा नं. 700 रकबा 1.25 एकड़. |

तारण प्रकाश सिन्हा,
पंजीयक.

# अन्य सूचनाएं

## कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/596.—अध्यक्ष ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. मनवा पंजीयन क्रमांक 3701 दिनांक .................. को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1311 दिनांक 21-10-2005 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. मनवा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/597.—अध्यक्ष, जय भवानी ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या. दर्राभाटा पंजीयन क्रमांक 3541 दिनांक ...................... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1310 दिनांक 21-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर जय भवानी ईंट भट्ठा सह. समिति मर्या. दर्राभाटा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/598.—अध्यक्ष, हरि. मछुआ सहकारी समिति मर्या. रांक पंजीयन क्रमांक 3203 दिनांक ...................... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1274 दिनांक 13-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर हरि. मछुआ सहकारी समिति मर्या. रांक को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/599.—अध्यक्ष, सत्य नारायण बुनकर सह. समिति मर्या. लोफंदी पंजीयन क्रमांक 121 दिनांक ........................ को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1456 दिनांक 26-11-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर सत्य नारायण बुन. सहकारी समिति मर्या. लोफंदी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एम. खैरवार स. नि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/600.—अध्यक्ष, पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. उमरमरा पंजीयन क्रमांक 3749 दिनांक 13-9-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1254 दिनांक 10-10-05 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. उमरमरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री जी. सूर्यनारायण सह. वि. अधि. कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/601.—अध्यक्ष, नवयुवक मछुआ सहकारी समिति मर्या. मस्तुरी पंजीयन क्रमांक 3118 दिनांक .................. को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1315 दिनांक 21-10-2005 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर नवयुवक मछुआ सहकारी समिति मर्या. मस्तुरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/602.—अध्यक्ष, प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति मर्या. मचखंड़ा पंजीयन क्रमांक 3677 दिनांक ........................ को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1273 दिनांक 13-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति मर्या. मचखंड़ा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/603.—अध्यक्ष, बिलासा मछुआ सहकारी समिति मर्या. रिस्दा पंजीयन क्रमांक 3825 दिनांक ...................... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1272 दिनांक 13-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर बिलासा मछुआ सहकारी समिति मर्या. रिस्दा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/604.—अध्यक्ष, इंदिरा गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या. बनियाडीह पंजीयन क्रमांक 3814 दिनांक ............................ को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1314 दिनांक 21-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर इंदिरा गांधी मछुआ सहकारी समिति मर्या. बनियाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/644.—अध्यक्ष, फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. चपोरा पंजीयन क्रमांक 115 दिनांक 8-8-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 257 दिनांक 15-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. चपोरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/645.—अध्यक्ष, किसान फलोद्यान सह. स. मर्या. बरेला पंजीयन क्रमांक 3534 दिनांक 22-7-1994 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 257 दिनांक 15-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर किसान फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. बरेला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/646.—अध्यक्ष, फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. बेलगहना पंजीयन क्रमांक 3540 दिनांक 22-5-1994 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 254 दिनांक 15-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. बेलगहना को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/647.—अध्यक्ष, फल-फूल साग सब्जी सहकारी समिति मर्या. गोठी पंजीयन क्रमांक 3957 दिनांक 14-9-2000 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 258 दिनांक 15-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर फल-फूल साग सब्जी सहकारी समिति मर्या. गोठी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता वि. अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/648.—अध्यक्ष, गतौरी फल-फूल साग सब्जी सह. स. मर्या. गतौरी पंजीयन क्रमांक 3810 दिनांक 14-10-1996 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 247 दिनांक 14-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर गतौरी फल-फूल साग सब्जी सह. समिति मर्या. गतौरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/649.—अध्यक्ष, फल-फूल साग सब्जी उत्पादन सह. स. मर्या. जोगीपुर पंजीयन क्रमांक 116 दिनांक 13-8-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 248 दिनांक 14-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर फल-फूल साग सब्जी उत्पादन स. समिति मर्या. जोगीपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/650.—अध्यक्ष, महामाया सब्जी उत्पादन सह. स. मर्या. रतनपुर पंजीयन क्रमांक 3811 दिनांक 14-10-1996 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 248 दिनांक 14-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर महामाया सब्जी उत्पादन स. सह. मर्या. रतनपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता वि. अधि. कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/651.—अध्यक्ष, सब्जी उत्पादन एवं विप. प्रक्रिया सह. स. मर्या. सेमरचुवा पंजीयन क्रमांक 120 दिनांक 15-8-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 250 दिनांक 14-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर सब्जी उत्पा. एवं विप. सह. स. मर्या. सेमरचुंवा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. मुंगेली को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/652.—अध्यक्ष, जय दुर्गा फल-फूल साग सब्जी उत्पादन एवं विप. स. स. हिर्री पंजीयन क्रमांक 113 दिनांक 7-8-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 252 दिनांक 14-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर जय दुर्गा फल-फूल साग सब्जी उत्पादन एवं विप. प्रक्रिया स. हिर्री को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. गौरेला को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/653.—अध्यक्ष, फल-फूल साग सब्जी उत्पादन एवं विप. प्रक्रिया स. स. सिवनी पंजीयन क्रमांक 3960 दिनांक 13-10-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 251 दिनांक 14-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर फल-फूल साग सब्जी उत्पादन एवं विप. प्रक्रिया स. स. सिवनी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता वि. अधि. मरवाही को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/654.—अध्यक्ष, फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. बाम्हू पंजीयन क्रमांक 3537 दिनांक 22-7-1994 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 259 दिनांक 15-2-06 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर फलोद्यान सहकारी समिति मर्या. बाम्हू को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधि. बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

**डी. आर. ठाकुर,**
सहायक पंजीयक.

---

## कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2006

क्रमांक/2006/642.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएं, अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 60 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | संस्था का नाम | पं. क्र./दिनांक | परिसमापक का नाम |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | महिला उद्योग सह. समिति मर्या. सरकंडा बिलासपुर. | 3029/07-02-84 | श्री जी. सूर्यनारायण, स. वि. अ. |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 2. | पी. डब्ल्यू. डी. एम्प्लाईज थ्रिफ्ट सह. समिति मर्या. बिलासपुर. | 2805/24-08-64 | श्री जी. सूर्यनारायण, स. वि. अ. |
| 3. | महाकौशल विश्वकर्मा बढ़ई उद्योग सह. समिति मर्या. बिलासपुर. | 2604/28-09-60 | --,,-- |
| 4. | अरपा रेत गिट्टी सह. समिति मर्या. मंगला बिलासपुर. | 3809/04-10-96 | --,,-- |
| 5. | नालंदा प्राथमिक उपभोक्ता सह. समिति मर्या. बिलासपुर. | 3618/24-02-95 | --,,-- |
| 6. | प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सह. समिति मर्या. सुभाषनगर बिलासपुर. | 3385/16-04-91 | --,,-- |

अतएव छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (5) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त समितियों के समस्त दावेदार/लेनदार अपने दावे मय प्रमाण-पत्रों के लिखित में इस प्रकाशन के दो माह के अन्दर मुझे, कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकों/अंकेक्षण टीप में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वतः विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 27-5-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

जी. सूर्यनारायण
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.